कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा झालावाड

क्रमांक'–जिशिअ/मा/झा/संस्था–1/नि.शाप्रअनु.III/20119–20/ 09 दिनांक 16/01/2020

कार्यालय– आदेश

निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक–शिविरा–मा/संस्था/एफ–1/12102/शा.शि.ग्रेड–III/सी.भ./वो–1/2017–18/दिनांक 29.11.2019 के द्वारा जिला आवंटित अभ्यर्थियो का राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III के पद हेतु राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2017 के अनुसार वेतन लेवल–10 में शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III पद पर चयनोपरान्त संलग्न सूची के अभ्यर्थियो को नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किये जाने के फलस्वरूप एवं राज्य से बाहर की डिग्री/अंकतालिका सत्यापन होने के पश्चात निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक–शिविरा–मा/संस्था/एफ–1/12102/शा.शि.ग्रेड–III/सी.भ./वो–1/2017–18/दिनांक15.01.2020 के अनुसार पदस्थापन की अनुमति प्राप्त होने पर शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–III के पद पर दो वर्ष के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्रोबेशन ट्रेनी) के रूप में नियुक्ति प्रदान की जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड –III के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर में विचाराधीन रिट संख्या 13257/2018,15078/2019एवं 17309/2019 तथा अन्य समान याचिकाओ में पारित होने वाले अन्तिम निर्णयो के अध्यधीन होगी । इन्हे परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से राज्य सरकार आदेश क्रमांक–**F,15 (1)FD/Rules/2017** दिनांक 30.10.2017 एवं द्वितीय संशोधन दिनांक 09.12.2017 के अनुसार शुड्युल–1,पार्ट ,बी,अनुसूची–5**(vi)** एवं **(vii)** में अंकित प्रावधानानुसार वेतन लेवल–10 के अनुसार 23700/– विद्यमान वेतन/नियत मानदेय होगा । परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण(प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि में फिक्शरेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा मँहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता,शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, मँहगाई वेतन(डी.पी) विशेष वेतन , बोनस आदि देय नहीं होगा एवं परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्वि के लिये गणन योग्य नहीं माना जावेगा । राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.8(1)कार्मिक/क–2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानान्तर्गत इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी ।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेगे।

1– इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक /प्रशैक्षिक ,आयु,जाति एवं अन्य आरक्षण संबंधी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजो की मूल दस्तावेजो से मिलान कर उसकी एक एक प्रति अपने कार्यालय अभिलेखो में सुरक्षित रखेगें, कोई भिन्नता /संदेह की स्थिति पाये जाने पर इस कार्यालय को तत्काल सूचित करते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त करने के उपरांत ही कार्यग्रहण करवायेगे ।

2– नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मूल ही प्राप्त कर कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखेगें ।जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा में सेवारत है , उनके लिये यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा ।

3– नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त एवं सदाचरण रिपोर्ट में कोई विपरीत टिप्पणी नहीं होनेपर ही इन्हे कार्यग्रहण करवाया जावे । जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राजकीय सेवा में सेवारत है उनके लिये यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा ।

4– कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न सन्तानो के फलस्वरूप कुल सन्तानो की संख्या दो से अधिक नही होने सम्बंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप में 50/–के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे ।

7– आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व–घोषणा पत्र(प्रारूप) प्राप्त किया जावे ।

8– कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लेवे कि –उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाऐ एवं दस्तावेज सही है ।इनके त्रुटिपूर्ण जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा ।

9– वित्त विभाग के आदेश क्रमांक –एफ–12(9) एफडी (रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार प्रोबेशन ट्रेनी के फिक्स रेमुनरेशन से नवीन पेंशन अंशदान की कटौति नियमानुसार होगी । विवाहित अभ्यर्थी के मामले में विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह ,पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्संबंधी आशय का 50/–के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त करेगें ।

10– संस्था प्रधान अभ्यर्थी से नवीनतम फोटो प्राप्त कर नियुक्ति पत्र पर चिपकाकर प्रमाणित करेगें ।

कृ.पृ.उ.

11— अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियो को जारी प्रमाण पत्रो के संबंध में निम्न बिन्दुओ की जॉच किये जाने के उपरान्त ही कार्यग्रहण की कार्यवाही करावे ।

(अ) प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया होना चाहिऐ एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि अपवर्जन का नियम इन पर लागू नही होता है ,अर्थात अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रिमीलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नही होना चाहिऐ । यदि कोई अभ्यर्थी क्रिमीलियर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवावे ।

(ब) उक्त प्रमाण पत्र माता एवं पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना वांछित है । विवाहित महिला आवेदको के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो वह मान्य नहीं है ।

12— कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमॉक प.7(3) कार्मिक/क—2/06 पार्ट दिनॉक 4.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता (**UNDERTAKING**) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावें।

इन्हे उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 25.01.2020 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा । अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/सूचनाऐ सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के उसकी सेवाये समाप्त की जा सकेगी ।

(रंग लाल मीणा)
जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा झालावाड
दिनांक 16/01/2020

कमांक—जिशिअ/मा/झा/संस्था—1/नि.शाप्रअनु.III/20119—20/ 09

प्रतिलिपि—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1—शासन उप सचिव—प्रथम ,शिक्षा (ग्रुप—2) विभाग ,राजस्थान जयपुर।
2—शासन उप सचिव कार्मिक, (क—2) विभाग राजस्थान जयपुर ।
3—निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान—बीकानेर ।
4—सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ।
5— संयुक्त निदेशक स्कुल शिक्षा कोटा संभाग कोटा।
6— मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी झालावाड ।
7— जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा झालावाड
8— मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जिला झालावाड
9—संबंधित संस्था प्रधान उमावि/मावि..............................।
10—संबंधित आशार्थी रजिस्टर्ड डाक द्वारा ।
11—रक्षितपत्रावली ।

(रंग लाल मीणा)
जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा झालावाड

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा झालावाड

कमांक–जिशिअ / मु–मा / झा / संस्था–1 / नि.शाप्रअनु.III / 2019–20 / 09 दिनांक 16 / 01 / 2020

क0स0	मेरिट नं0	रोल नं0	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	जन्म तिथि	लिंग	केटेगिरी	चयनित केटेगिरी	पता	पदस्थापन स्थान	प्राथमिकता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	3418	515946	शैलजा	देवीलाल	03.03.90	F	OBC	OBC	20 एमजेडी ग्राम इन्द्रपुरा 335064 जिला हनुमानगढ	राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय मिश्रोली पं0स0 भवानीमण्डी	एकल महिला	
2	14353	507594	मन्जु कुमारी खटीक	बालुलाल खटीक	15.05.87	F	SC	SC	ग्राम निम्बाहेडा जतन तह0 करेडा जिला भीलवाडा 311804	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पुनियाखेडी पं0स0 बकानी		
3	3562	519634	सावित्री	गणपतराम	20.02.90	F	OBC	OBC	ग्राम व पोस्ट गुडलिया वाया वडाल तह0 चौमु 303602 जिला – जयपुर	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ताईका खेडा पं0स0 भवानीमण्डी		
4	2967	506117	विकम सिंह यादव	हरिसिंह यादव	30.12.85	M	OBC	OBC	ग्राम व पोस्ट नया नगर तह0 खेतडी नागलिया गुर्जरवास नयानगर	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कागडिया पं0स0 डग		
5	4417	508440	विनोद कुमार मीणा	देवी लाल मीणा	25.10.82	M	ST	ST	ग्राम बोरखेडी पोस्ट रीछवा तह0 झालरापाटन जिला–झालावाड	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गणेशपुरा बैरागढ पं0स0 बकानी		
6	3585	500351	मनीष शर्मा	जगदीश शर्मा	01.05.87	M	GEN	GEN	66 रामद्वारा कॉलोनी सॉगानेर 302029 जिला जयपुर	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय टोकडा पं0स0 डग		
7	2611	522997	प्रमोद कुमार लोचिव	बंशीधर लोचिव	05.07.90	M	OBC	OBC	ग्राम व पोस्ट गुडलिया वाया बडाल तह0 चौमु पिन–303602 जिला–जयपुर	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लालगॉव पं0स0 सुनेल		
8	6152	519187	सोमदत्त लाखीवाल	अमर चन्द बुनकर	17.07.82	M	SC	SC	ग्राम व पोस्ट सेवर तह0 शाहपुरा जिला जयपुर 303103	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देवरीदेव पं0स0 अकलेरा		

16/1/2020

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा झालावाड

क्रमांक–जिशिअ/मु–मा/झा/संस्था–1/नि.शाप्रअनु.III/2019–20/09 दिनांक 16/01/2020

क0स0	मेरिट नं0	रोल नं0	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	जन्म तिथि	लिंग	केटेगिरी	चयनित केटेगिरी	पता	पदस्थापन स्थान	प्राथमिकता	हस्ताक्षर
9	2951	510875	मोहन लाल प्रजापति	बदीलाल प्रजापति	23.06.86	M	OBC	OBC	एफ–58 लाल कोठी के पीछे न्यू विधान सभा जयपुर	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कोटडा राडी पं0स0 बकानी		
10	5350	510205	दीपक कुमार	प्रमोद कुमार	20.09.86	M	SC	SC	प्रताप कॉलोनी गली नं0 2कोटा जक्शन कोटा 324002	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खामला पं0स0 डग		
11	5918	505214	बसन्त कुमार खटीक	देवीलाल खटीक	09.10.85	M	SC	SC	जूना बाजार खटीक मोहल्ला चित्तोडगढ 312001	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खोली पं0स0 अकलेरा		
12	3101	507679	विजय कुमार	रामेश्वर लाल	06.08.94	M	OBC	OBC	चक 11 बीओबी ग्राम व पोस्ट 17 केवाईडी तह0 खाजुवाला 334023 बीकानेर	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दुधलाई पं0स0 डग		
13	2138	507587	सम्पत सिंह	चेतराम	02.07.92	M	OBC	OBC	ग्राम व पोस्ट बुकराका तह0 नौहर पिन–335523 जिला हनुमानगढ	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय करावन पं0स0 मवानीमण्डी		
14	2818	514704	रामावतार धाकड	रामलाल धाकड	10.08.94	M	OBC	OBC	ग्राम व पोस्ट बाबडी 304505 जिला टौंक	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बेडला डग पं0स0 डग		

16/01/2020

(रंगलाल मीणा)

जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)

माध्यमिक शिक्षा झालावाड